पत्रांक–मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद्–18/2011................

बिहार सरकार,

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक

रविकान्त,
प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार,पटना।

पटना, दिनांक ....

विषय :– विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में इस विभाग के पत्रांक 08 दिनांक 05 जनवरी, 2011 एवं कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक 1233 दिनांक 05 फरवरी, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि कार्यपालिका नियमावली में अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार आकस्मिक अवकाश एवं प्रतिबंधित अवकाश की स्वीकृति ठीक ऊपर के स्तर के पदाधिकारी द्वारा दी जानी है, जिनके अधीन सरकारी सेवक कार्यरत है। साथ ही विभागीय प्रधान सचिव/सचिव तथा अखिल भारतीय सेवा के संबंध में आकस्मिक अवकाश एवं प्रतिबंधित अवकाश से भिन्न अन्य अवकाश की स्वीकृति मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री द्वारा दी जानी है।

2. उपर्युक्त संशोधन के आलोक में विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के मामले में अवकाश की स्वीकृति मुख्य सचिव के स्तर से अपेक्षित है। तदनुसार विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता के आलोक में प्रधान सचिव/सचिव के मामले में विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी निदेशों को अवक्रमित करते हुए निम्न निदेश दिये जाते हैं:–

(i) विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को आकस्मिक अवकाश एवं प्रतिबंधित अवकाश तथा राजपत्रित एवं शनिवारीय/रविवारीय अवकाश में मुख्यालय से बाहर रहने की स्वीकृति मुख्य सचिव द्वारा दी जाएगी तथा इसकी सूचना विभागीय मंत्री को भी दी जाएगी।

(ii) उपर्युक्त उप कंडिका (i) से भिन्न मामलों यथा उपार्जित अवकाश/अर्द्धवैतनिक अवकाश/रूपांतरित अवकाश आदि की स्वीकृति हेतु विभागीय मंत्री की अनुशंसा के साथ आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवेदन पर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन,

(रविकान्त)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद्–18/2011...820.../पटना–15, दिनांक...20/6/12

प्रतिलिपिः–सभी माननीय मंत्रियों के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविकान्त)
प्रधान सचिव।

D:\Rajeev\RAVIKANT\Hindi Letter.doc51

o/c